

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम गील्या

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-15 सन्-2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-15/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27.12.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम मुनापुरा भूमि ख0न0 105 रकबा 0.0050 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्तता पर गैरसायल गील्या पुत्र मुथरया जाट जाति जाट निवासी मोहनबास द्वारा जिन्स काश्त कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायल उपस्थित नहीं हुआ। अतः गैरसायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अम्ल में लायी गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.20 रूपये का 50 गुणा 10 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखल वसूली एवं फसल जप्ती नीलामी हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद लकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	


तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)

रा0 ले0 स0 4 वर्ष-2078 की
पू0 सं-14-पर-10 रु क
मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लखाका

फर्द वेदखल।

आज दिनांक 17.01.2022 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदारजी, मण्डापर
 क्रमांक - RA/2021/339-340 दिनांक 27.12.2021 की पालना में ग्राम मुनापुरा के
 खसरा नंबर 105 रकबा 0.0050 हेक्टेयर किरम श्री सुशारना मौके
 पर आया। मौके पर उक्त खसरा नंबर में श्री भूमि पर श्री
श्रीलाल पुत्र सुधरमा जार जाति जार
 निवासी श्रीधनवास ने अतिचार करके फसल कपास काशत कर रखी
 है।

उक्त भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से वेदखल कर भूमि को कब्जा राज लिया

गया।

श्रीलाल
 पटवारी
 पटवार मण्डल नं०
 हस्ताक्षर पटवारी

17-1-22
 14R201-5

RA
 17.1.22

फर्द नीलामी

आज दिनांक 17.01.2022 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदार जी,
 महवा क्रमांक - RA/2021/339-340 दिनांक 27.12.2021 की पालना में ग्राम मुनापुरा के
 खसरा नंबर 105 रकबा 0.0050 हेक्टेयर फसल कपास जो
 कि श्री श्रीलाल श्रीलाल पुत्र सुधरमा
 जाति जार निवासी श्रीधनवास द्वारा अतिचार करके काशत की गई, को
 मौके से भौतिक रूप से वेदखल कर फसल को कब्जा राज लिया गया तथा मौके पर नीलाम
 किया गया। जिसकी नीलामी बोली निम्न प्रकार रही :-

क्र०सं०	नाम बोलीदार	राशि	हस्ताक्षर
1.	<u>सुनील जैन श. रिखल जैन कोर</u>	<u>25</u>	<u>सुनील</u>
	<u>जबूलाल पुत्र गजसुखा गई कोर</u>	<u>35</u>	<u>लाबूलाल</u>
	<u>गजानन्द पुत्र जनुलाल मछन कोर</u>	<u>50</u>	<u>गजानन्द</u>

रा० सं० 4 वर्ष 2778 की
 पृ० सं० 14 पर 50 रु ई
 मॉग कायम की गई।
 तहसील राजस्व लेखाकार

उक्त बोली से अधिक किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली नहीं लगाई गई। अतः श्री
गजानन्द पुत्र श्री जनुलाल जाति गई
 निवासी कोर के नाम राशि रु० 50 में अन्तिम बोली
 छोड़ी गई।

17-1-22
 14R201-5 पटवारी
 पटवार मण्डल नं०

गजानन्द
 तहसील मण्डल नं० (दौमा)